

पञ्जाब के न्यायिक प्रशासन।
राज्यीय अधिकारी की / पञ्जाब
पर है। अतः पञ्जाब में प्रशासन है।
पञ्जाब की वि. 2. 1. 1914 को पेश की।

पञ्जाब के न्यायिक प्रशासन।
राज्यीय ने पेश स्थगित कर रखा
है। अतः पञ्जाब की वि. 2. 1. 1914
को पेश की।

(1)

पञ्जाब की पेश / वाही वकील (उप) वकील
वाही को तस्वीर करने के अनेक अवसर
दिये गये परन्तु तस्वीर पेश नहीं की गई।
अतः तस्वीर पेश करने के अभाव में 'पञ्जाब
O.R.S CPC के अन्तर्गत खारिज रिफा
जना है। पञ्जाब की फिलॉसॉफी अन्तर्गत
कायल है।

(1)

सहायक कलेक्टर
कोटखुली (जयपुर)